

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
सं 38/2017- एकीकृत कर(दर)

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्टूबर, 2017

सारणी 0 (अ) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अद्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में केन्द्रीय कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं	अद्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू एकीकृत कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जिसे	2

		सा.का. नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू एकीकृत कर की दर का 65%	
--	--	--	--

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

- (1)इस अधिसूचना में उल्लिखित , “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अद्याय” से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अद्याय से है ।
- (2)उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अद्याय नोट्स और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल है, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे ।

अनुबंध

शर्त सं0	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो ।
2	<ol style="list-style-type: none"> i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो । ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग.III)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार